इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2021—आश्विन 16, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2021

सूचना

क्र. एफ-3-95-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"19—क. नगर विकास योजना से भिन्न कार्यों का किया जाना:—

विकास प्राधिकरण, नगर विकास योजना से भिन्न विकास योजना के घटकों, जैसे—मार्ग, फ्लाईओवर, रेल्वे ओवर ब्रिज तथा पार्क एवं उद्यान आदि के विकास कार्य विकास प्राधिकरण मण्डल की स्वीकृति से कर सकेगा:

परन्तु ऐसे कार्य, विगत वर्ष की प्राधिकरण की वास्तविक आय के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-3-95-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-95-2021-अठारह-5, दिनांक 5 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th October 2021

NOTICE

No. F-3-95-2021-XVIII-5.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is, hereby, given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, after Rule 19, the following rule shall be inserted, namely:—

"19-A. Carrying out works other than Town Development Scheme:—

The Development Authority may take up the development work of the components of the development plan other than the Town Development Scheme such as roads, flyovers, railway over bridges, Parks and gardens etc. with the approval of the Development authority Board:

Provided that such work shall not exceed the limit of 10 percent of the actual income of the Authority for the previous year."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

अंतिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021

क्र. एफ-1(सी)3-2020-ई-चार.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त सूची में,—

मद ''क'' के अनुक्रमांक 24 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

25. ''महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर''

26. ''छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा''

27. ''धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर''

संस्थाओं के अंकेक्षण शुल्क की दरें ऐसे उद्गृहित होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं.

No. F-1(C)3-2020-E-IV.—in exercise of powers conferred by the sub-section (3) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (43 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Schedule of the said Adhiniyam, namely:—

AMENDMENT

In the said Schedule,—

After serial number 24 of the item "A'', the following serial numbers and enties relating thereto shall be added, namely:—

25. "The Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur.''

26. "The Chhindwara University, Chhindwara''.

27. "Dharmashastra National Law University Jabalpur.''

Audit fees for the institutes would be levied as fixed by the Government from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.